गलता गेट इलाके में वृद्धा के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार

आरोपी 3-4 साल पहले वृद्धा के घर में किराये पर रहता था, खुद का 4 लाख रु. कर्ज न चुका पाया तो हत्या और लूट की वारदात कर डाली

जयपुर के गलता गेट इलाके में 108 वर्षीय वृद्धा जमुना देवी के पैर के पंजे काटकर चांदी के कड़े लूटने वाले बदमाश प्रकाश प्रजापत (बायें से चौथे) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अजय पाल लांबा ने मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू होकर मामले का खुलासा किया।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके में रविवार अलसुबह 108 वर्षीय वृद्धा जमुना देवी के पैर के पंजे काटकर चांदी के कड़े लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपित प्रकाश प्रजापत 3-4 साल पहले वृद्धा के मकान में ही किराए पर रहता था और तब से ही उसकी नजर इन चांदी के कड़ों पर थी। आरोपी खुद का कर्जा न उतार पाया तो उसने वृद्धा जमुना देवी की हत्या और लूट की साजिश रची। उधर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती वृद्धा की मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण मौत हो गई।

- उधर अधिक खून बहने के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती वृद्धा जमुना देवी की मंगलवार को मौत हो गई
- आरोपी प्रकाश प्रजापत गलता गेट इलाके में वृद्धा के मकान के नजदीक ही रहता था, उसे घर और बाहर के सभी रास्ते मालूम थे, लेकिन वारदात के बाद भागते वक्त वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अजय पाल लांबा ने बताया कि गलता इलाके में रविवार अलसुबह 108 वर्षीय वृद्ध महिला जमुना देवी के पैर काट कर चांदी के कड़े लूटने वाले प्रकाश प्रजापत (27) निवासी टोडा मीणा रायसर जिला जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के पास से लूटे गए चांदी के कडे भी बरामद किए गए है। जो लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित जयपुर छोड़कर फरार हो गया था। जिसे ट्रेडिशनल पुलिसिंग और टेक्निकल इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया है।

डीसीपी उत्तर परिस देशमुख ने बताया कि कुछ साल पहले आरोपित प्रकाश प्रजापत बुजुर्ग महिला के मकान में किराए से रहता था और उसके बाद मकान खाली करके पास में ही अन्य दूसरे मकान में किराए से रहने लगा। आरोपित अय्याशी और घूमने-फिरने का शौक़ीन है। इस कारण उस पर काफी कर्जा हो गया। कर्ज चुकाने के लिये उसे धन की अत्यंत आवश्यकता थी। चूंकि आरोपित पीड़िता के मकान में पहले किराए से रहा था तथा अब भी वह पास में किराए से रह रहा था, इसलिये वह जमुना देवी की शारीरिक-पारिवारिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। उसे यह भी मालूम था कि बुजुर्ग होने की वजह से पीड़िता खुद चल-फिर पाने में असमर्थ है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित प्रकाश प्रजापत का कुछ साल पहले उसका सड़क दुर्घटना में पैर टूट गया था और इलाज में चार लाख का खर्चा हुआ। इसके बाद वह इस कर्ज को चुका नहीं पा रहा था। आए दिन पैसे मांगने वाले उसके घर आते थे। इस पर उसने महिला को मारने का प्लान बनाया।

पुलिस को वारदात में सबसे पहला शक आस-पास के लोगों और परिजन पर गया था। महिला के मकान में 11 किराएदार रहते हैं। पुलिस की जांच इन पर ही लगी हुई थी। वृद्धा के मकान में सब्जी बेचने वाले किराएदार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन रविवार के कारण उठे नहीं या फिर क्या कारण रहा। घर के चौक में सब्जी भी रखी थी। इसी आधार पर पुलिस ने वारदात के खुलासे के लिए के लिए वृद्धा के मकान में रहने वाले किरायेदारों से पूछताछ की। साथ ही ऐसे किराएदार जो पूर्व में मकान में रह कर गए हैं, उनकी भी जानकारी जुटाई गई। इसके साथ ही वारदात स्थल से लेकर हाईवे पर लगे हुए हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने खंगाला। सैकड़ों संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। जब पुलिस पड़ताल करते हुए आरोपित प्रकाश प्रजापत के किराए के मकान पर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला। ऐसे में पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया और पुलिस की एक टीम उसके पीछे लगा दी गई।

आरोपित प्रकाश प्रजापत इसी कॉलोनी में कई सालों तक वृद्धा के यहां किराए रहा था। उसे घर में घुसने और घर से बाहर निकलने के वह तमाम रास्ते पता थे। जहां पर किसी की भी नजर नहीं जाती। यही कारण रहा कि उसने वारदात की और मौके से निकल गया। एक जगह कंस्ट्रक्शन होने के कारण वह दूसरे रास्ते से निकला। इससे वह सीसीटीवी की कैद में आ गया। पुलिस को वहीं से लीड मिली और उसके बाद पुलिस आरोपी प्रकाश प्रजापत तक पहुंची।

लूट का खुलासा करने वाले कांस्टेबल को प्रमोशन

कांस्टेबल प्रधान

जयपुर (कासं)। गंगापोल गेट स्थित मीणा कॉलोनी में 108 वर्षीय जमुना देवी के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने वाले बदमाश को ढूंढने वाले कांस्टेबल प्रधान को प्रमोशन मिला है। हजारों लोगों की भीड़ में अपराधी को पहचान करके वारदात का खुलासा करने पर उसे यह पदोन्नति मिली है।

पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग महिला भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में रहती थी और यहां पर इस तरह की वारदात होना गंभीर मामला है। लेकिन लोगों की आवाजाही में सबसे पहले आरोपी की पहचान कांस्टेबल प्रधान ने की। इस पर पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने कांस्टेबल प्रधान को गैलेंट्री प्रमोशन देने की घोषणा की है।

राजस्थान में 32 नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को करोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 31 रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में फिलहाल 274 एक्टिव केस मौजूद है।

- मंगलवार को कोटा में 8 और जयपुर में 5 नए मरीज सामने आए हैं।

प्रदेश में मंगलवार को 12 जिलों में 32 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले सोमवार को इनकी संख्या 21 रही थी। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा 8 नए संक्रमित कोटा में मिले हैं। इसके अलावा जयपुर में 5, अलवर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, बारां, राजसमंद, सीकर व उदयपुर में 2-2 तथा पाली, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 8713 जांचें की गई।

प्रदेश में मंगलवार को एक बार फिर रिकवरी में कमी आई है। इस दौरान 31 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 274 हो गए हैं। हालांकि जयपुर में 13 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 54 रह गए हैं। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9644 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में मंगलवार को 5 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें बापू नगर, बरकत नगर, जगतपुरा, जौहरी बाजार और शाहपुरा में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

तेजी से कृषि कनेक्शन जारी करने के निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सैना की अध्यक्षता में मंगलवार 11 अक्टूबर को विद्युत भवन के कान्फ्रेन्स हॉल में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजत हुई, जिसमें विभिन्न कार्यों तथा योजनाओं की चालू वित्त वर्ष में सितम्बर माह तक हुई प्रगति की सर्किलवार विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निदेशक वित्त, मुख्य लेखा नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, संभागीय मुख्य अभियन्ता सहित निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी 12 जिलों के अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी उपस्थित रहे।

सक्सैना ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार कृषि कनेक्शन देने के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी सर्किल अधीक्षण अभियन्ता को कनेक्शन जारी करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समयावधि में लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसके लिए आवश्यक सामान की पर्याप्त उपलब्धता है। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में कृषि कार्य हेतु किसानों को निर्धारित ब्लॉक के अनुसार बिना व्यवधान के बिजली आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जेएलएफ में 250 से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे

जयपुर, (का.सं.)। दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर से गुलाबी नगरी में दस्तक देने वाला है। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में, 19-23 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले उस फेस्टिवल में साहित्य, किताबों और विचारों की धूम रहेगी।

अपने 16वें संस्करण में यह आइकोनिक फेस्टिवल दुनिया भर के श्रेष्ठ वक्ताओं के साथ विभिन्न विचारों, मतों, संगीत, कला, व्यंजन और कारीगरी की अनुपम छटा प्रस्तुत करेगा। फेस्टिवल में 5 वेन्यू और 250 से ज्यादा वक्ताओं के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओँ और अनेकों विदेशी भाषाओँ का प्रतिनिधित्व किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी ये फेस्टिवल अपने अनोखे प्रोग्राम से सुसज्जित है, जिसमें कथा, कथेतर, व्यंजन, इतिहास, करंट अफेयर्स तक के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम तानिया मक्कड (Tanya Makkar) से बदलकर नवनीत कौर (Navneet Kaur) पुत्री श्री सतपाल सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पता-म.नं.56 बर्मीज कालोनी, नियर सेठी कालोनी, जवाहर नगर, जयपुर (राज.)

मैंने अपना नाम कमल कुमार से बदलकर कमल लालवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे कमल लालवानी पुत्र प्रेम प्रकाश लालवानी के नाम से जाना जावे। पता-मकान नं.60, हीरा नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर (राज.)

मैं महेश कुमार पुत्र श्री भुगडा मल पता-172, सिन्धी कॉलोनी, राजापार्क आदर्श नगर, जयपुर। मैंने अपना नाम महेश पंजवानी से बदलकर महेश कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे महेश कुमार के नाम से जाना जाये।

I JC No 384138W Rank Sub Patil Vishwanath Shivaji S/o Shivaji hanumant Patil R/o Bache Gali, Near Maruti Mandir, Tasgoan Sangli, Maharastra 416312 Declare that I have changed my Son's Name (in my service record) from Ishan (DOB-02-03-2011) to Ishan vishwanath patil vide affidavit dated 20-09-2022.

I JC No 384138W Rank Sub Patil Vishwanath Shivaji S/o Shivaji hanumant Patil R/o Bache Gali, Near Maruti Mandir, Tasgoan Sangli, Maharastra 416312 Declare that I have changed my Daughter's Name (in my service record) from Gargi (DOB-30-04-2014) to Gargi vishwanath patil vide affidavit dated 20.09.2022.

कांग्रेस को सरकार में रहने का नैतिक अधिकार नहीं : अरूण सिंह

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चले थे सियासी घटनाक्रम पर प्रदेश भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह ने भी हमला बोला है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा विधायक और मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद गहलोत सरकार को नैतिकता के आधार पर सरकार में रहने का हक नहीं है। अरुण सिंह ने आज भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब मंत्रियों-विधायकों का सामूहिक इस्तीफा हो जाता है तो फिर सरकार का अस्तित्व नहीं रहता है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को भी मंत्री और विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए, अरुण सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस्तीफा देने के बाद आखिर किस अधिकार से मंत्री और विधायक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। यह राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी।

- 'विधानसभा स्पीकर सी.पी.जोशी को इस्तीफे करने चाहिए स्वीकार'

अरुण सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर काम में केवल दोषारोपण की राजनीति करते हैं और विपक्ष के नेताओं पर दोष मंढते हैं। उन्होंने 4 साल में दोषारोपण के अलावा और कोई काम नहीं किया। राजस्थान की जनता इनसे बहुत नाराज है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी।

इधर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 20 और 21 अक्टूबर को कोटा संभाग के दौरे को लेकर अरुण सिंह ने कहा कि उनका दौरा ऐतिहासिक होगा उनके दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जेपी नड्डा के दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नए जोश का संचार होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराएगा।

श्रेया गुहा नैफ्सकॉब की निदेशक निर्वाचित

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (नैफ्सकॉब) का निदेशक निर्वाचित किया गया है। आईजोल, मिजोरम में सम्पन्न आमसभा में संचालक मण्डल के रिक्त पदों के लिए चुनाव में श्रेया गुहा, सहकारिता एवं प्रशासक, दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सर्वसम्मति से संचालक (निदेशक) निर्वाचित की गई है। नैफ्सकॉब देश के सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी बैंकों के प्रबंधन का राष्ट्रीय फोरम है।

नैफ्सकॉब देश के ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित विषयों में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के ध्यान में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आरसीए के चुनाव पर 18 अक्टूबर तक रोक जारी

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरसीए को जवाब के लिए समय देते एक सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला क्रिकेट संघ व अन्य जिला संघों की याचिका पर दिए। वहीं मामले में हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में मुख्य चुनाव अधिकारी रामलुभाया, प्रमुख खेल सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस की तामील नहीं हुई है।

सुनवाई के दौरान आरसीए की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका पर विस्तृत जवाब पेश करना है। इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर अदालत ने आरसीए को जवाब के लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया है। वहीं अदालत के सामने आया कि अन्य पक्षकार को जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी।

'कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मन भावुक हुआ'

जयपुर/झुंझुनूं। जयपुर से झुंझुनूं जाते समय केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शेखावत ने कहा कि यात्रा के दौरान झुंझुनूं में पार्टी के सिपाहियों का उत्साह देखकर मन में भावुकता उमड़ आई। सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि इस स्वागत में औपचारिकता का निशान नहीं, पूर्णतया अपनापन मिला। शेखावत ने कहा कि सीकर सीमा के सरगोठ बॉर्डर पर, रींगस में तथा सीकर प्रवेश के पश्चात भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बंधुओं से मिला स्वागत दिल छू गया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अब कांग्रेस आलाकमान की कार्यवाही का इंतजार, माफी मिलेगी या होंगे बाहर

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में 25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाने के लिए बुलाई गई विधायक दल की बैठक का गहलोत गुट के विधायकों की ओर से बहिष्कार किया गया था। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस का सामना कर रहे मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कांग्रेस की अनुशासन समिति को नोटिस का जवाब भेज दिया है।

- समानांतर बैठक बुलाए जाने के मामले में महेश जोशी ने भी भेजा कारण बताओ नोटिस का जवाब, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ पहले ही भेज चुके हैं अपने जवाब
- 25 सितंबर को आलाकमान की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर धारीवाल के निवास पर समानांतर बैठक बुलाने और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे देने का मामला

दरअसल राजस्थान में 25 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर प्रभारी अजय माकन और पार्टी पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे सभी विधायकों से बात करने आए थे,लेकिन इस बैठक का बहिष्कार कर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में आलाकमान के खिलाफ बयानबाजी की गई थी, जिसके वीडियो भी वायरल हुए थे। इस बैठक के बाद समानांतर बैठक में मौजूद मंत्री, विधायक विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपने गए थे।

इस मामले में कांग्रेस आलाकमान की ओर से 27 अक्टूबर को मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। यह नोटिस पर्यवेक्षक बन कर आए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर की ओर से जारी किए गए थे। मंत्री शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को तो नोटिस तय समय पर मिल गए थे, इसके चलते उन्होंने 6 सितंबर से पहले ही अपना जवाब भेज दिया था। मुख्य सचेतक और मंत्री महेश जोशी को कारण बताओ नोटिस 6 अक्टूबर को मिला था। ऐसे में उनके पास जवाब देने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय था, लेकिन महेश जोशी ने अपना जवाब नोटिस मिलने के 5 दिनों में ही 10 अक्टूबर को कांग्रेस अनुशासन समिति को भिजवा दिया है।

जोशी ने नोटिस में क्या जवाब दिया है,यह तो साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि महेश जोशी ने अपने नोटिस के जवाब में विधायक दल की बैठक से पहले मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर हुई बैठक के लिए विधायकों को फोन करने से इनकार किया है। महेश जोशी को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि महेश जोशी पर यह आरोप था कि उन्होंने मुख्य सचेतक होते हुए मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए तो फोन विधायकों को किए ही थे, उसके साथ ही मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर समानांतर बैठक में शाम 5 बजे शामिल होने के लिए फोन किए थे। दूसरी ओर महेश जोशी लगातार इन आरोपों से साफ इनकार करते रहे है और कहा है कि विधायक स्वेच्छा से मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर पहुंचे थे। इसके लिए विधायकों को किसी ने फोन नहीं किया था।

अब कांग्रेस आलाकमान को तीनों नेताओं के जवाब मिल चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी आलाकमान शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से दिए गए जवाबों से संतुष्ट होता है या फिर आगे की कार्यवाही होती है। कहा यह भी जा रहा है कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद में अब जो भी कार्यवाही होगी, वह नए अध्यक्ष के निर्देशन में ही होगी। ऐसे में सभी को 19 अक्टूबर का इंतजार है।

खोया पाया

भैरव गृ.नि.सह.समिति जयपुर की योजना जयकरणी नगर के भूखण्ड संख्या-132 का सोसायटी का पट्टा, साईट प्लान व रसीद गुम हो गया है सम्पर्क करें- रविकान्त गौड़, मो. 9783352036

आवश्यकता

कार्यालय माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मंडावरी में

पद सफाई कर्मचारी 1 मानदेय-समिति द्वारा देय, चयन समय 13 अक्टूबर 2022, प्रातः 10 बजे, प्रधानाध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय परिसर मंडावरी तहसील लालसोट जिला दौसा

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक फ्लेट नम्बर 403, 4th फ्लोर, प्लाट नम्बर 4 साउथ एण्ड 5, IN RAINBOW, सुरज नगर एक्सटेंशन, पांच्यावाला जयपुर में स्थित है, जिस पर मेरे पति स्व. रमेश यादव ने एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पति के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड में रहन (MORTGAGE) कर रखे है। यह कि मेरे पति स्व. रमेश यादव का दिनांक 7-8-2022 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त फ्लेट के पेटे लिये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिये अब मैं उक्त फ्लेट के असल दस्तावेजो को प्राप्त करना चाहती हूँ इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथि से सात दिवस की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड, जयपुर पिन. 302001 फोन नं. 0141-4140888 में सम्पर्क करें। सूचित रहे।
हंसा देवी यादव निवासी मेहता की ढाणी, बलेखण, चौमू (जयपुर) मो. नं. 9887273262

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत -तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4 -स- 19 जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 217.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीएन0 सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 9980 दिनांक 02/01/1984 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 11040 दिनांक 08/02/1984 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्तआवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 31/03/1990 को करवाया गया। श्री महेन्द्र सिंह की मृत्यु दि. 07/02/2021 को हो जाने के कारण श्रीमती इन्दुबाला श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री महेन्द्र सिंह के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती इन्दुबाला श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री महेन्द्र सिंह के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जावेगी।
संपदा प्रबंधक
वृत तृतीय, राज. आ. मंडल
जयपुर

आम सूचना एतद् द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री सालासर ओवरसीज प्रा.लि. पता 15-बी, गोपालपुरा बाई पास रोड़, हीरा नगर, मानसरोवर, जयपुर द्वारा नारायण सिटी ब्लॉक सी योजना का भूखण्ड संख्या -171-बी क्षेत्रफल 216.88 वर्गगज, का अलॉटमेंट लेटर राम सिंह राठौड़/ईचरज कँवर पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. श्री पृथ्वी सिंह राठौड़/राम सिंह राठौड़ निवासी-07, हरीदास नगर, गणेश कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर के नाम से जारी किया गया है। उक्त आवंटियों में से राम सिंह राठौड़ का स्वर्गवास दिनांक 31.3.2020 को हो गया है तथा उक्त स्व. श्री राम सिंह राठौड़ के स्थान पर उनकी पत्नी ईचरज कँवर ने स्वयं का नाम प्रतिस्थापन हेतु कम्पनी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजात् के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था,कम्पनी, वित्तीय संस्था,बैंक आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस की समयावधि में कम्पनी कार्यालय में सम्पर्क करे अन्यथा 15 दिवस के पश्चात उक्त आवेदनकर्ता ईचरज कँवर पत्नी स्व. श्री राम सिंह राठौड़ के नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। निदेशक-श्री सालासर ओवरसीज प्रा.लि.

रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. (जयपुर)
क्रमांक-रा.गृ.नि.66/2022 दिनांक-11.10.2022

आम सूचना श्री अशोक कुमार माधोक पुत्र श्री अदिनाथ माधोक ने भुखण्ड सं.97-ए एरीया-37.00 वर्गगज समिति की योजना-श्याम सरोवर-ग्राम-वाटिका-तहसील सांगानेर जिला, जयपुर के मुल कागजात गुम हो जाने पर डुप्लीकेट कागजात प्राप्त करने हेतु समिति में आवेदन किया है। जिसकी गुम शुदगी की सूचना दिनांक 01.10.2022 के शिकायत संख्या 78780422201162 पुलिस थाना सांगानेर सदर जयपुर (दक्षिण) में दर्ज करा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो 7 दिवस में समिति कार्यालय में सम्पर्क करे अन्यथा बाद मियाद गुजर जाने पश्चात प्रार्थी को डुप्लीकेट कागजात जारी कर दिये जायेंगे। सुचित रहे।
मंत्री-रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 287/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम प्रार्थी-नाम 1. सोहन सिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह जाति जाट, 2. दिलीप सिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह, 3. मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह जाट, 4. श्रीमती कोशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रघुवीर सिंह विवाद स्थान निवासी गण म.न. 369, गली नम्बर 6, ऋषि गालव नगर, गलता गेट जयपुर
मृतक श्री रघुवीर सिंह की सम्पत्ति के विषय में
पेशी दिनांक- 31.10.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री चरण सिंह जाति जाट निवासी म.न. 369, गली नं. 6 ऋषि गालव नगर, गलता गेट जयपुर 302003 राजस्थान का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 31 माह 10 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 07 माह 10 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

Form No.3 [See Regulation-15(1)(a)]/16(3)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center,
Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.:OA/188/2022

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of tahe Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No.: 6552

YES BANK
VS
SURESH CHAND KHANDELWAL

To, (1) Smt. Asha Khandelwal W/o Shri Suresh Chand Khandelwal G-13/Glat No, 404, Signature Residency, Hathi Babu Marg, Bani Park, Jaipur Rajasthan, Also at Flat No. 404, Signature Residency, Hathi Babu Marg, Bani Park, Jaipur, Rajasthan
(2) Smt Harsha Khandelwal W/O Shri Ankit Khandelwal R/O G-13/Flat No. 404, Hathi Babu Marg, Bani Park, Jaipur, Rajasthan, Also at Flat No. 404, Signature Residency, Hathi Babu Marg, Bani park, Jaipur, Rajasthan
(3) M/s Percept Interiors A proprietorship Firm, having office at flat No. 404, Signature Residency, Hathi Babu Marg, Bani Park Through its proprietor Smt Asha Khandelwal, Jaipur Rajasthan
(4) FS Housing Pvt. Ltd., A Compnay Registered under provision of company Act 1956, having office at Plot No. A-4, Airport Enclave Scheme, Durgapura, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan, also at A-4, Jawahar Circle, Sudarshan Enclave, Govind Vihar, Durgapura, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan

SUMMONS

WHEREAS, OA/188/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 27.09.2022. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 2,64,20,062/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under: (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to wly relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 26.12.2022 at 10:30A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal on this date:28.09.2022

Signature of the Officer Authorised to issue summons.
SEAL
REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR